

न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी - श्री विष्णु कुमार गोयल-। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : दावा/2021/84

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री लालाराम पौत्र रामसहाय, आयु 15 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता गुलाब देवी पत्नि श्री लालाराम जाति-मीणा, निसासीयान- ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा, वाया दांतली, जगतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

- वादी-

बनाम

1. रामसहाय पुत्र श्री श्योबकश
2. रामफूल पुत्र श्री रामसहाय
3. गिरधारी लाल पुत्र श्री रामसहाय
4. लालाराम पुत्र श्री रामसहाय
समस्त जाति मीणा, निवासीगण- ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा, वाया दांतली, जगतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
5. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये जोन उपयुक्त, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जयपुर
7. उपपंजीयक सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

-प्रतिवादीगण-

दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
एवं आदेश
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11
सिविल प्रक्रियां संहिता



निर्णय -


दिनांक : 07.09.2022

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वाके ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा, पटवार हल्का जयपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 146 पुरानी 2, खसरा नम्बर 1134/1240 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1136 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.27 हैक्टेयर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय



आपस में एक ही परिवार के सदस्य एवं एक ही कुटुम्ब के सदस्य हैं जिनका सजरा
खानदान निम्न प्रकार है—



प्रतिवादी संख्या 1 शुबकश का जायन्दा पुत्र है एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 प्रतिवादी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र है एवं वादी प्रतिवादी संख्या 4 का पुत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 का पौत्र है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के दादाजी/पितामह पूर्वज श्री शुबकश के वंशज है एवं उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात सम्पूर्ण चल एवं अचल सम्पत्ति का एकमात्र मालिक प्रतिवादी संख्या 1 हुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्व. शुबकश की अर्जित अचल सम्पत्ति से वादग्रस्त भूमि को खरीद किया गया एवं उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपने दादाजी/पितामह शुबकश की सम्पत्ति में हित निहित था। उक्त भूमि के बेचान से प्रतिवादी संख्या 1 को जो प्रतिफल की राशि मिली उस राशि से प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा, पटवार हल्का जयपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लूनियावास, तहसील संगानेर, जिला जयपुर में स्थित खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 146 पुरानी 2, खसरा नम्बर 1134/1240 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1136 रकबा 1.18 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.27 हैक्टेयर जरिये विक्रय पत्र खरीद की गयी इस प्रकार उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने पिता शुबकश से विरासत में प्राप्त कृषि भूमि को बेचकर उक्त वादग्रस्त भूमि खरीदी गयी है जिसमें वादी का भी हिस्सा अपने उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार विरासत के अनुसार कानूनी रूप से प्राप्त होता है क्योंकि वादी को अपने दादाजी की सम्पूर्ण चल एवं अचल सम्पत्ति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार बाई बर्थ राईट्स प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बेची हुई सम्पत्ति में वादी का हिस्सा निहित है एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विरासत की भूमि को बेचकर वादग्रस्त भूमि खरीद की गयी है इस कारण वादी का भी उक्त भूमि में अपना हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने पिता शुबकश से विरासत में प्राप्त चल एवं अचल सम्पत्ति को अवैध रूप से बेचान करने के पश्चात प्राप्त प्रतिफल की राशि से वादग्रस्त भूमि खरीद की गयी है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का हिस्सा 1/3-1/3-1/3 प्रत्येक का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार कानूनी

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

रूप से हिस्सा निहित चला आ रहा है क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत किसी भी खातेदार की मृत्यु के पश्चात उसके विरासत की भूमि उसके पुत्रों, पौत्रों तथा अन्य वारिसान को बराबर बराबर हक एवं हिस्सों में विरासत के आधार पर कानूनी रूप से प्राप्त होती है इसलिये वादी का प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में वादी का हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/3 कानूनन राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना आवश्यक है एवं वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से पर बिना किसी रुकावट एवं बाधा के कब्जे काशत अपनी माता के साथ उपयोग उपभोग में ले रहा है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने दीगर व्यक्तियों तथा राजस्व कर्मचारियों से साज कर अपने पिता की कृषि भूमि जो कि ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा में स्थित थी का विरासत का नाम अपने नाम दर्ज करवाकर उक्त भूमि को वादी की बिना सहमति के बिना कानूनी अधिकार के बेचान कर दिया एवं उक्त बेचान करने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 को जो प्रतिफल की राशि मिली उससे उपरोक्त वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 बेचान कर विवादित भूमि को खुरद बुर्द करने पर आमदा है। जिसका उसको कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 आपस में मिले हुये है एवं वादी के हिस्से की भूमि को हडपने का आशय रखते है जिनका उन्हें कोई हक व अधिकार नही है। जबकि वादी अधिकारी है कि वादग्रस्त भूमि जो स्व. श्योगक्ष वादी के पितामह (दादा) के हिस्से की भूमि को बेचान कर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को क्रय किया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 वादी का दादाजी होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकारी होने के कारण दादा की सम्पूर्ण चल एवं अचल सम्पत्ति में पौत्र का हिस्सा कानूनन कायम होता है इस कारण वादी का बाई बर्थ कानूनन हक एवं अधिकार है एवं वादी का हिस्सा कानूनी रूप से बनता है। वादी का पुश्तैनी भूमि में विरासत के आधार पर हिस्सा होने से व वादी के हिस्से को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बेचान कर वादग्रस्त भूमि खरीद ली गयी है जिसमें वादी का हिस्सा कानूनन निहित है। इस प्रकार वादी को अपने हिस्से की भूमि का काशतकार खातेदार घोषित करवाया जाकर अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में भी इन्द्राज करवाने का भी अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम से दर्ज अवैध रूप से वादग्रस्त भूमि के अंकन का भली भांति जानकारी होते हुये कि उक्त सम्पत्ति मैने मेरे पिताजी से प्राप्त विरासत की सम्पत्ति को बेचान कर खरीद किया गया है जिसमें वादी का हिस्सा कानूनन बनता है फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि को खुरद बुर्द करने के आशय से प्रतिवादी संख्या 5 के कार्यालय में उक्त भूमि को सरेण्डर कर 90ए की कार्यवाही अवैध रूप से की जा रही है जबकि उक्त भूमि में कानूनन वादी का हिस्सा कायम है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा की गयी अवैध प्रतिवादी संख्या 5 के कार्यालया में वादी के हक एवं अधिकारो के विपरीत होने के कारण शुरु से ही विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण वादी

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

के प्रति बेअसर एवं शुन्य है एवं वादी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये उक्त अवैध कृत्य के लिये जिम्मेदार नहीं है। वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादी के हिस्से के उपयोग उपभोग में एवं काश्त करने में प्रतिवादीगण किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करे और न ही भूमि का बेचान करे तथा न ही किसी तरह का निर्माण कार्य कर भूमि को खुर्द बुर्द करे, ऐसा न तो स्वयं करे, न ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, या अन्य व्यक्ति से करावे। दिनांक 15.07.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 दीगर व्यक्तियों के साथ वादग्रस्त भूमि पर आये और सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि को दीगर व्यक्तियों को बेचान करने के आशय से दिखाने लगे एवं वादी द्वारा मना करने पर वादी के साथ झगड़ा फसाद करने पर उतारू हो गये तथा वादग्रस्त भूमि में वादी के कोई हक व अधिकार होने से साफ इन्कार कर दिया व वादी के हिस्से की भूमि को भी बेचान कर खुर्द बुर्द करने की तथा काश्त नही करने की तथा भूमि से बेदखल करने की धमकी दी इस कारण वादी को धिवादित भूमि में निहित अपने हक व अधिकारों की घोषणा करवाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करने की आवश्यकता हुई। उक्त उनवानी वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 5 राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज होने से पक्षकार बनाया गया है व प्रतिवादी संख्या 6 को लेण्ड होल्डर होने एवं प्रतिवादी संख्या 7 को स्थानीय सब रजिस्ट्रार होने से प्रतिवादी पक्ष के रूप में पक्षकार बनाया गया है जिसके लिये धारा 80 (2) सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में छूट प्राप्त करने के लिये अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। दिनांक 15.07.2021 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर आकर वादग्रस्त भूमि को बेचान करने तथा वादी को काश्त नहीं करने व बेदखल करने की धमकी देने के कारण उक्त वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी रहने से वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 को इस आशय की घोषणा का डिक्री फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा, पटवार हल्का जयपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 146 पुरानी 2, खसरा नम्बर 1134/1240 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1136 रकबा 1.18 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.27 हैक्टेयर में वादी के हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण दर्ज किया जावे। वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा, पटवार हल्का जयपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 146 पुरानी 2,

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

खसरा नम्बर 1134/1240 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1136 रकबा 1.18 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.27 हैक्टेयर में वादी के हिस्से के उपयोग उपभोग में एवं काश्त करने में प्रतिवादीगण किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करे और न ही भूमि को बेचान करे तथा न ही किसी तरह का निर्माण कार्य कर भूमि को खुर्द बुर्द करे, ऐसा न तो स्वयं करे, न ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, या अन्य व्यक्ति से करावे एवं प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज या कॉलोनी के संबंध में पट्टा या विक्रय पत्र निष्पादित करवाया जाता है तो उसे पंजीबद्ध नहीं करे एवं प्रतिवादी संख्या 5 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत 90ए की कार्यवाही नहीं की जावे एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की वर्तमान स्थिति बनाये रखे।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ जमाबंदी प्रमाणित सम्बत् 2074-2077 व नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति, फोटो प्रति रंगीन फोटोग्राफ उल्लेखित भूमि,

प्रार्थी ओमप्रकाश व गुलाब देवी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी प्रति व राशन कार्ड, जनआधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली है।



दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० पेश किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित है कि :-

वादी ने वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा भूमि खाता संख्या 146 पुरानी 2 में खसरा नंबर 1134/1240 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1136 रकबा 1.18 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.27 हैक्टेयर वाकै ग्राम लूनियावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम होना एवं उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति को विक्रय कर उक्त भूमि क्रय करना वाका दज्र किया है जिसके संबंध में वादीया द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वादी (वादीया) जो की प्रतिवादी संख्या 4 की पुत्र व पत्नि है ने उक्त वाद पत्र में यह अभिवचन करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि वे खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया है वास्तविकता यह है कि उपरोक्त खसरा नंबरान खाता संख्या 146 की 90 (ए) होकर जयपुर विकास प्राधीकरण में निहित हो चुकी है तथा ज. वि.प्रा. द्वारा भूखण्डधारियों को दिनांक 30.03.22 को पट्टे भी जारी हो चुके है, मौके पर पट्टेधारियों ने कब्जा ले लिया है, चुनावे उक्त भूमि काश्तकारी भूमि नहीं रही है उक्त तथ्य को वादीया ने छुपाकर दावा पेश किया है और उक्त वाद धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परव्यू में न होने से एवं कृषि भूमि से पट्टे की भूमि हो जाने से वाद वादी नाकाबले पेशरफ्त है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र चलने योग्य न होने से खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

वकील अप्रार्थी/वादी को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र नियत की गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से मौखिक बहस की गई। व न्यायिक दृष्टांत 1996 S.C. Page 1521 and 1997 RRD Page 45 का विवेचन किया। व अप्रार्थी/वादी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। वकील अप्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित है कि : प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना-पत्र में जो भी तथ्य वर्णित किये हैं वे सभी तथ्य इश्यू बनाकर तय होने हैं। वैसे भी प्रश्न चाहे विधि का हो अथवा अन्य तथ्य का दोनों ही सी.पी.सी. के आदेश में वर्णित प्रावधानों के तहत इश्यू बनाकर ही तय किये जा सकते हैं, इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र किसी भी तरह से पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट एवम् राजस्थान उच्च न्यायालय एवम् माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अनेकों न्यायिक सिद्धान्तों में उन्होंने यह प्रतिपादित किया है कि प्रतिवादी अपने जवाब दावे में सारी आपत्तियां उठाने हेतु स्वतन्त्र हैं, एवम् उसके पश्चात् वाद एवम् जवाब दावे में वर्णित अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है तथा राजस्थान उच्च न्यायालय ने तो यहाँ तक निर्णय पारित कर रखा है कि प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र लगने का ही अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र बेबुनियाद एवम् विधि में वर्णित प्रावधानों के विपरित सिर्फ और सिर्फ प्रकरण को देरी करने की गरज से एवम् जवाब देही से बचने के लिये प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, ताकि प्रकरण का शीघ्रता से निस्तारण न हो सकें और प्रकरण में येनकेन प्रकारेण वेग प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर उनके निस्तारण में देरी की जा सके। उत्तरदाता वादीगण ने उक्त वाद-पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत वाद पेश किया हैं एवम् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत माननीय न्यायालय को वाद-पत्र की मुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार एवम् क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वादीगण ने आर.टी.एक्ट के तृतीय परिशिष्ट में वर्णित अनुसार पूर्ण न्यायशुल्क अदा किया है। प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 किसी भी परिधि को पूर्ण ना किये जाने से काबिले खारिज योग्य है। भूमि खसरा नंबर 1134/1240 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1136 रकबा 1.18 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.27 हैक्टेयर वाकै ग्राम मुनीयावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर का इन्द्रा किया जाना सही है एवम् उक्त भूमि पैगुक सम्पत्ति को बेचान कर खरीद की गई के सम्बन्धित तथ्य सही होने से अधिकार हैं। जहाँ तक की साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रश्न है वह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का जवाब दावा लिये जाने एवम् तनकीयात कायम किया जाकर साक्ष्य के

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

अनुसार तय किये जाने का बिन्दु है। वादिया द्वारा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.08.2021 को अपने हक एवम् अधिकारों के लिये श्रीमान् न्यायालय के समक्ष उक्त वाद-पत्र प्रस्तुत कर दिया था एवम् दावे के विचारण के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा मद संख्या-2 में अंकित फर्ज कार्य कर कार्यवाही की गई जो कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है। वकील अप्रार्थी/वादी द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत का विवरण लिखित बहस में किया जो निम्न है :

AIR 2006(6) page 1828 S.C, AIR 1996(10) page 1240 S.C, CCC 2008(1) page 512, RRT 2011(2) page 1395 H.C., RBJ 2016 page 553 and 566, RRT 2016 (1) 254 H.C., RRT 2016(1) 674, RRT 2013(1)P-356, CJ 2019 (1) p-35 (S.C), CJ 2019 (1) p-275, CJ 2019 (1) P-1106, RRT 2016 (1) P-320, RBJ 2019 page No. 355,

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि लिखित बहस को रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र मय हर्जे-खर्चे खारिज किये जाने के आदेश देकर प्रार्थी/वादी को कृपा करें।

वकील प्रार्थी/प्रतिवादी की मौखिक बहस व अप्रार्थी/वादी की लिखित बहस का मनन किया जाकर मय पत्रावली अवलोकन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी का अपने प्रार्थना पत्र में अंकन कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1134/1240 व 1136 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम होना एवं उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति को विक्रय कर उक्त भूमि क्रय करने का वाका दर्ज किया है जिसके संबंध में वादीया द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त के क्रम में लेख है कि अप्रार्थी/वादी ने इन्ही आधारो पर वाद प्रस्तुत किया है लेकिन अप्रार्थी/वादी ने अपने वादपत्र में कही भी ना तो पैतृक आराजी का उल्लेख किया है कि कौनसी आराजी वादीगण के पूर्वजो के नाम अंकित थी जिसका बैचान पूर्वजो द्वारा कर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजीयात का क्रय किया व उसका बैचान किया। ना ही अप्रार्थी/वादी ने ऐसा कोई दस्तावेजात (जमाबंदी, गिरदावरी) ही वाद में प्रस्तुत की है जिससे ऐसा प्रतीत हो की वादीगण के पूर्वजो के नाम उक्त आराजी थी, ना ही पैतृक आराजी की कुल किस्म व बैचान की ही दिनांक अंकित की है। प्रार्थी/प्रतिवादी की प्रार्थना पत्र में दूसरा अंकन की वादग्रस्त आराजी 90 (ए) होकर जयपुर विकास प्राधीकरण में निहित हो चुकी है तथा ज.वि.प्रा. द्वारा भूखण्डधारियो को दिनांक 30.03.22 को पट्टे भी जारी हो चुके है, मौके पर पट्टेधारियों ने कब्जा ले लिया है, चुनाचे उक्त भूमि काश्तकारी भूमि नहीं रही है उक्त तथ्य को वादीया ने छुपाकर दावा पेश किया है और उक्त वाद धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परव्यू में न होने से एवं कृषि भूमि से पट्टे की भूमि हो जाने से वाद वादी नाकाबले पेशरपत है। इन कथनों के समर्थन में प्रार्थी/प्रतिवादी ने

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

दस्तावेजात जयपुर विकास प्राधिकरण का आरसी एन्क्लेव के नाम से ले-आउट प्लान, जमाबंदी संवत् 2074-2077 खाता संख्या नया 146 पुराना 2, रेरा का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेक्ट वादग्रस्त आराजी, जयपुर विकास प्राधिकरण का वादग्रस्त भूमि के संबंध में 90ए आदेश दिनांक 27.11.2020 की प्रति पेश की है। उक्त दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात दिनांक 27.11.2020 को ही कृषि से अकृषि में परिवर्तित हो चुकी है। उक्त 90ए का आदेश दिनांक 27.11.2020 का है जबकि अप्रार्थी/वादी द्वारा दावा दिनांक 27.08.2021 को पेश किया गया है लेकिन अप्रार्थी/वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह कही भी उल्लेखित नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी की 90ए की कार्यवाही हो चुकी है। जिससे यह जाहिर होता है कि वादी ने वाद में उपरोक्त तथ्यों को छुपाकर यह दावा प्रस्तुत किया है। तथा जिन न्यायिक दृष्टांत का अप्रार्थी/वादी द्वारा लिखित वहस में उल्लेख किया गया है वे भी इस प्रकरण में पूर्णतया चस्पा नहीं होते हैं। तथा प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत का उल्लेख किया गया है वह इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि वादी ने उक्त वाद अपूर्ण तथ्यों, अपूर्ण दस्तावेजात व मौखिक कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया है तथा वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में कृषि आराजीयात न होकर गैर कृषि प्रयोजनार्थ में परिवर्तित हो चुकी है। जो प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात(यथा-ले-आउट प्लान, 90ए आदेश की प्रति, जमाबंदी की प्रति,) से स्पष्ट है। ऐसे में वादी का वाद प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 की परिधी में होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद बार्ड बॉय लॉ होने से खारिज किया जाता

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 07.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर व इजलास
श्री विष्णु कुमार गोयल-। (आर.ए.एस.)

ओमप्रकाश

बनाम

रामसहाय वगै.

दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
एवं आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11
सिविल प्रक्रियां संहिता

मुकदमा नम्बर - दावा/2021/84

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल-। व हाजिरी वकील
वादी मिनजानिव मुद्ई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिजा जाता है व
डिक्री दी जाती है कि

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी
स्वीकार किया जाकर वादी का वाद बार्ड बॉय लॉ होने से खारिज किया जाता है।
इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज मुबलिंग वाबत
खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.09.2022 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत
ओहदा जयपुर शहर द्वितीय

मुद्ई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुकमनामा		
हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
	मीजान	00		मीजान	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय